

फर्द अहकाम


(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार बनाम मुजाहिद


किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/246/2022 दायर दिनांक 17.10.2022

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलोरो संख्या एच.आर.-45-बी.-3251 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी खेरली से राय/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी खेरली द्वारा दिनांक 10.10.2022 को रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने से पुलिस थाना खेरली को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस अभिशंषा पर जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश कर दे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/ तस्दीकशुदा जमानतनामा दिनांक 31.10.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

18/10/22

करीब 3000 के इन्फान्ट्री पदों पर पश्चात्
तक घेरे हुए थे। करीब 3000
की और से निर्धारित राशि के अन्तर्गत
मुद्रागणना के विषय में सही
कर की पश्चात् विना माला / S. No.
में के तहत मुद्रागणना के संबंध
में अद्यतन जारी हो पश्चात्
मुद्रागणना के तहत करीब 3000
राशि थी।


जिला कलेक्टर
अलवर (राज.)